न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न, (म॰प्र॰)

क्रमांक– 65(7)/सी॰जे॰एम॰ / 2025 सिंगरौली, दिनांक 17.05.2025

:: **संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2025** ::

मैं शिवचरण पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न (म॰प्र॰) सिंगरौली जिले में मुख्यालय वैढन में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य उचित रूप से कार्य वितरण एवं सम्पादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2025 आदेश कमांक 47 / सीजेएम / 2025 सिंगरौली दिनांक 12.04.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 और 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न के अनुमोदन उपरांत आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2025 आदेश कमांक 47 / सीजेएम / 2025 सिंगरौली दिनांक 12.04.2025 की चार्ज प्रभार सूची की कंडिका 4 को विलोपित कर उसी स्थान निम्नानुसार कंडिका क. 4 एवं परिशिष्ट 'अ' के नोट कमांक–3 के पश्चात नवीन नोट कमांक 04 स्थापित कर संशोधन कर जोड़ता हूँ– जो दिनांक– 26/05/25.... से अन्य आदेश होने तक निरंतर प्रभावशील रहेगा :–

1. चार्ज प्रभार :–

क्र0	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
4	श्री विशाल रिछारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैढन	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैढन	सुश्री प्रिंसू मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैढन	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैढन

<u>2.</u> परिशिष्ट 'अ'

नोट कमांक 04– जिला मुख्यालय वैढन पर लगने वाले थाना माड़ा, नवानगर, लंघाडोल एवं अजाक सिंगरौली से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अपराधों में धारा 164द.प्र.सं. / 183 बी.एन.एस.एस. के कथन सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय वैढन के द्वारा अभिलिखित किए जावेंगे। उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में सुश्री प्रिंसु मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कथन लेखबद्ध किये जावेंगे। शेष थाना कोतवाली वैढन, विंध्यनगर एवं मोरवा से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अपराधों में धारा 164 द.प्र.सं. / 183 बी.एन.एस.एस. के कथन पूर्ववत नोट कमांक–2 के अनुसार ही सुश्री प्रिंसू मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा अभिलिखित किए जावेंगे और उनके अवकाश के रहने की स्थिति में सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैढन के द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित।

अनुमोदित

प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली, मुख्या॰ बैढ़न (म॰प्र॰)

17/05/25

(शिवचरण पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र. / 65(7) / सी.जे.एम. / 2025 सिंगरौली, दिनांक :– 17.05.2025

प्रतिलिपिः– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात्

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।
2. माननीय प्रथम / द्वितीय / पंचम / षष्टम / सप्तम् जिला न्यायाधीश मुख्यालय बैढ़न / देवसर जिला सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।
3. श्री / श्रीमती / सुश्री..न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिंगरौली मुख्या0 बैढन जला सिंगरौली म0प्र0।
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिंगरौली म0प्र0।
5. प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली म0प्र0।
6. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
7. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
8. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
9. वन मण्डलाधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
12. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सिंगरौली म0प्र0।
13. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
14. श्रम अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0।
15. प्रभारी रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0) उप थाना सिंगरौली म0प्र0।
16. थाना जी0आर0पी0 कटनी म0प्र0।
17. नियंत्रक / निरीक्षक नापतौल विभाग, जिला सिंगरौली म0प्र0,
18. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैढन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
19. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/05/25

(शिवचरण पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)